भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2334
उत्तर देने की तारीख-15/12/2025

शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यक्रम

†2334. **श्री रमासहायम रघुराम रेड्डी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय विद्यालय प्रमुख एवं शिक्षक समग्र उन्नति पहल (निष्ठा) जैसे शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की शुरुआत ने देश के शिक्षा क्षेत्र को किस प्रकार प्रभावित किया है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा) जैसे डिजिटल शिक्षण सहायक उपकरणों के कार्यान्वयन से शैक्षणिक तकनीकों में किस प्रकार सुधार हुआ है; और
(ग) माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकारों, शैक्षणिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निष्ठा - स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अधिगम परिणामों में सुधार करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। निष्ठा ऑनलाइन को अक्टूबर, 2020 में दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शुरू किया गया था, जो शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी के उपयोग से संबंधित मॉड्यूल सहित वीडियो, पठन सामग्री, विचारमूलक गतिविधियों और स्व-मूल्यांकन उपकरणों से युक्त संरचित डिजिटल पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह प्लेटफ़ॉर्म शिक्षकों को ऑन-डिमांड डिजिटल सामग्री, पाठ योजनाओं, इंटरेक्टिव सामग्री और डैशबोर्ड तक पहुँच के माध्यम से शिक्षण तकनीकों में सुधार करने में सहायता करता है। वर्ष 2021-22 में माध्यमिक चरण के शिक्षकों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण का विस्तार किया गया है। निष्ठा प्रमुख प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान तथा प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) भी प्रदान करती है। अब तक, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केंद्रीय संगठनों में कुल मिलाकर 63 लाख से अधिक शिक्षक और स्कूल प्रमुख निष्ठा के माध्यम से सतत व्यावसायिक विकास में शामिल हो चुके हैं।

पीएम ई-विद्या कार्यक्रम, जो शिक्षा तक बहु-माध्यमीय पहुँच सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करता है, के तहत, सभी कक्षाओं (वन नेशन, वन डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए क्यूआर कोडेड सक्रिय पाठ्यपुस्तकों (ईटीबी) के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए वर्ष

2017 में ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा) की शुरुआत की गई थी। शिक्षकों हेतु, दीक्षा में सुखद कक्षा अनुभव प्रदान करने के लिए पाठ योजनाएं, कार्यपत्रक और गतिविधियां शामिल हैं। शिक्षकों को इंटरैक्टिव और आकर्षक शिक्षण सामग्री तक पहुँच प्राप्त है; वे विद्यार्थियों को कठिन अवधारणाओं को समझाने के लिए अन्य शिक्षकों के साथ सर्वोत्तम पद्धतियां साझा कर सकते हैं; व्यावसायिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं, आदि।

(ग): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुरूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षक प्रशिक्षण/शिक्षा कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए 'समग्र शिक्षा' की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सहायता प्रदान की जाती है। इनमें शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) में वास्तविक अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण; राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) को सहायता प्रदान करना ताकि वे स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ एसई) के अनुवर्ती के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा, अनुसंधान और राज्य-विशिष्ट पाठ्यचर्या रूपरेखा को प्रभावी ढंग से और कुशलता से विकसित कर सकें; जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डीआईईटी) के पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण; बीआरसी/सीआरसी आदि के माध्यम से स्कूलों को निरंतर शैक्षणिक सहायता प्रदान करना शामिल है।

इस योजना के तहत शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों, विषय शिक्षकों, संसाधन व्यक्तियों, प्रमुख प्रशिक्षकों, शिक्षा प्रशासकों, शिक्षक प्रशिक्षकों, प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, नोडल एजेंसियों के रूप में एससीईआरटी और डीआईईटी के माध्यम से प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नव नियुक्त शिक्षकों के प्रेरण प्रशिक्षण हेतु राज्य विशिष्ट प्रस्तावों के अनुसार वित्तीय प्रावधान भी प्रदान किया जाता है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से चरणबद्ध तरीके से समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत सभी कार्यशील जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, अब तक सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 125 डीआईईटी और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 121 डीआईईटी के स्तरोन्नयन को अनुमोदित किया है।

इसके अतिरिक्त, एनईपी, 2020 के संदर्भ में, सरकार ने शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) संबंधी एक मार्गदर्शक दस्तावेज और राष्ट्रीय परामर्शदाता मिशन (एनएमएम) संबंधी ब्लूबुक जारी की है। एनपीएसटी विभिन्न चरणों/स्तरों पर शिक्षकों की दक्षताओं को परिभाषित करता है। एनएमएम संबंधी ब्लूबुक में स्कूल शिक्षकों की क्षमता निर्माण के संवर्धन हेतु उन्हें परामर्श देने के विभिन्न तौर-तरीके शामिल हैं।

एनईपी 2020 की सिफारिशों के संदर्भ में, एनसीटीई ने आईटीईपी को अधिसूचित किया है, जो शिक्षा में 4 वर्षीय एकीकृत दोहरी प्रमुख स्नातक डिग्री के साथ-साथ कला, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा आदि में एक विशेष विषय है। इसका उद्देश्य उत्साही, प्रेरित, कुशल, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित और पूर्णतः तैयार शिक्षक बनाना है। आईटीईपी हेतु प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा (एनसीईटी) के माध्यम से किया जाता है, जो आखिरी बार दिनांक 29 अप्रैल, 2025 को आयोजित की गई थी।

*****